मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 94
21.07.2025 को उत्तर के लिए

जीवाश्म ईंधन आधारित नौकाओं का चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद करना

94. श्री दुलू महतोः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाली नौकाओं से जल और ध्वनि प्रदूषण होता है और पक्षियों तथा जलीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसी नौकाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो उसके प्रमुख परिणाम क्या हैं;
(ग) क्या पक्षी अभयारण्यों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में इन नौकाओं के उपयोग पर कोई नियम या प्रतिबंध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन आधारित नौकाओं को हटाकर सौर नौकाओं को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में मान्यता प्राप्त नाव पार्किंग स्थलों की सूची, जिसमें प्रत्येक स्थान पर उपयोग की जा रही नौकाओं की संख्या और प्रकार (मैनुअल या मशीन) और ऐसी नौकाओं में प्रयुक्त ईंधन का प्रकार शामिल है, का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली नौकाओं से जल और ध्वनि प्रदूषण होता हैं, जिससे पक्षियों और जलीय पारि-प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली नौकाएं, जलाशयों में बिना जला ईंधन, तेल और हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि उत्सर्जनों को छोड़ती हैं। ये प्रदूषक जल की गुणवत्ता को कम करके, तैलीय विषैली परत उत्पन्न करके और तलछट में जमा होकर जलीय जीवन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे मछलियाँ, प्लवक और अन्य जीव प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त,

इन इंजनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण विशेष रूप से प्रमुख पक्षी अभयारण्यों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ध्वनिक संकेतों पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों के पक्षियों के व्यवहार जिसमें प्रजनन, भोजन की तलाश और दिशा-निर्धारण शामिल है, को बाधित कर सकता है। नौकाओं के इंजनों से निकलने वाला शोर मछलियों के आवागमन और इन्हें शिकारियों से बचने में भी बाधा डाल सकता है, जिससे जलीय पारि-प्रणाली और अधिक प्रभावित होती है। भारत में जो जलीय पारि-प्रणाली ऐसी पक्षियों और अन्य जलीय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास बाधाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम की धारा 111 के साथ पठित) के अंतर्गत बनाए गए अंतर्देशीय पोत (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2022 के अनुसार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाले सभी अंतर्देशीय पोतों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा। भारत सरकार अपने व्यापक स्थायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के तहत, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, जीवाश्म ईंधन आधारित नौकाओं को सौर-विद्युत चालित नौकाओं में परिवर्तित करने के लिए सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

अगस्त 2023 में, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपनी जहाज निर्माण सब्सिडी नीति में संशोधन करते हुए 12 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं को 20% सब्सिडी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन का उपयोग करने वाली नौकाओं को 30% सब्सिडी मिलेगी।

इसके अलावा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) जीवाश्म ईंधन आधारित जहाजों से इलेक्ट्रिक, सौर ऊर्जा चालित और हाइब्रिड प्रोपलशन नौकाओं सहित स्वच्छ विकल्पों की ओर चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2024 में हरित नौका संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिनका उद्देश्य वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जहाजों को हरित जहाजों में 100% परिवर्तित करना है। इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल नाव डिजाइन, हरित रेट्रोफिटिंग और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग तथा जीवाश्म ईंधन आधारित जहाजों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु तकनीकी मानक और प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

****